भारत सरकार

पर्यटन मंत्रालय

**लोक सभा**

लिखित प्रश्न सं. †1306

सोमवार, 8 दिसंबर, 2025/17 अग्रहायण, 1947 (शक)

को दिया जाने वाला उत्तर

**विदेशी पर्यटकों की सुरक्षा**

**†1306. श्री के. ई. प्रकाश:**

क्या **पर्यटन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को पर्यटकों, विशेषकर महिलाओं और विदेशी नागरिकों का बार-बार उत्पीड़न और हमले की आने वाली रिपोर्टों की जानकारी है;

(ख) क्या इस बात का आकलन किया गया है कि ऐसे समय में जब सरकार भारत को एक प्रमुख वैश्विक पर्यटन केंद्र के रूप में बढ़ावा दे रही है, ऐसी घटनाओं का भारत की वैश्विक पर्यटन प्रतिष्ठा पर क्या प्रभाव पड़ेगा;

(ग) पर्यटकों के लिए वर्तमान में उपलब्ध केंद्रीकृत शिकायत-पंजीकरण प्रणालियों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) क्या उक्त प्रणालियाँ पर्याप्त, सुलभ, बहुभाषी हैं और विदेशी पर्यटकों, विशेषकर महिलाओं से संबंधित आपात स्थितियों से निपटने में सक्षम हैं?

**उत्तर**

**पर्यटन मंत्री (श्री गजेन्द्र सिंह शेखावत)**

(क) से (घ): पर्यटकों की सुरक्षा एवं संरक्षा अनिवार्य रूप से राज्य सरकार का विषय है। हालाँकि, पर्यटन मंत्रालय पर्यटकों के लिए जमीनी सुरक्षा तंत्र को मज़बूत करने हेतु समर्पित पर्यटन पुलिस की स्थापना हेतु सभी राज्य सरकारों/संघ राज्यक्षेत्र प्रशासनों के साथ लगातार इस मुद्दे को उठाता रहा है। पर्यटन मंत्रालय के प्रयासों से तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, दिल्ली, गोवा, कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, मध्य प्रदेश, ओडिशा, पंजाब, राजस्थान, सिक्किम और उत्तर प्रदेश की राज्य सरकारों/संघ राज्यक्षेत्र प्रशासनों ने पर्यटक पुलिस तैनात की है।

पर्यटन मंत्रालय केंद्रीयकृत लोक शिकायत निवारण एवं निगरानी प्रणाली (सीपीजीआरएएमएस) पोर्टल के माध्यम से सेवा देने में कमी, धोखाधड़ी आदि से संबंधित शिकायतें/सुझाव प्राप्त करता है। सीपीजीआरएएमएस पोर्टल नागरिकों के लिए पर्यटन संबंधी अपनी शिकायतें दर्ज कराने हेतु 24x7 उपलब्ध है। विदेशी पर्यटक भी भारत में पंजीकृत मोबाइल नंबर के माध्यम से इस पोर्टल पर अपनी शिकायतें दर्ज करा सकते हैं। पर्यटकों की यात्रा को सुरक्षित बनाने के लिए मंत्रालय के निरंतर प्रयासों के एक हिस्से के रूप में, पर्यटन मंत्रालय ने घरेलू और विदेशी पर्यटकों के लिए टोल फ्री नंबर

1800111363 या संक्षिप्त कोड में 1363 पर 10 अंतर्राष्ट्रीय भाषाओं (जर्मन, फ्रेंच, स्पेनिश, इतालवी, पुर्तगाली, रूसी, चीनी, जापानी, कोरियाई, अरबी), हिंदी और अंग्रेजी सहित 12 भाषाओं में 24x7 बहुभाषी पर्यटक हेल्पलाइन की स्थापना की है, ताकि भारत में यात्रा से संबंधित जानकारी के संदर्भ में सहायता सेवा प्रदान की जा सके और भारत के भीतर यात्रा करते समय संकट में फंसे पर्यटकों को उचित मार्गदर्शन दिया जा सके।

इसके अतिरिक्त, यह भी बताया गया है कि सरकार ने एक समर्पित गैर-व्यपगत कॉर्पस कोष - निर्भया कोष की स्थापना की है, जिसका संचालन वित्त मंत्रालय के आर्थिक कार्य विभाग द्वारा किया जा रहा है और जिसका उपयोग विशेष रूप से महिलाओं की सुरक्षा एवं संरक्षा में सुधार के लिए तैयार की गई परियोजनाओं के लिए किया जा सकता है।

पर्यटन मंत्रालय समय-समय पर सभी राज्य सरकारों और संघ राज्यक्षेत्र प्रशासनों से निर्भया कोष के अंतर्गत 'महिलाओं के लिए सुरक्षित पर्यटन स्थल' का लाभ उठाने का अनुरोध करता रहा है, जिसका उपयोग विशेष रूप से महिला पर्यटकों की सुरक्षा में सुधार हेतु डिज़ाइन की गई परियोजनाओं के लिए किया जा सकता है।

*****